

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई
(एक आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन)
(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)

" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम "

प्रक्रिया संयंत्रों, विनिर्माण उद्योगों, बंदरगाह संचालन और निर्माण स्थलों में विद्युत खतरों और सुरक्षा उपायों से संबंधित कानूनी आवश्यकताएं"
(18 – 20 नवंबर 2026)

संस्थान के बारे में:

क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई), चेन्नई, डीजीओएसएच (पूर्व में डीजीएफएसएलआई के रूप में जाना जाता था) का एक अधीनस्थ कार्यालय, भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आरएलआई चेन्नई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और ओएसएच (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य) पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

पाठ्यक्रम के बारे में:

औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रक्रिया संयंत्रों, विनिर्माण इकाइयों, बंदरगाह संचालन और निर्माण स्थलों में कार्यस्थल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में बिजली के खतरे शामिल हैं। बिजली का झटका, बिजली का झटका, बिजली का जलन, आर्क फ्लैश, शॉर्ट सर्किट, बिजली की आग और विस्फोट के परिणामस्वरूप गंभीर चोट, मृत्यु, उपकरण क्षति और परिचालन व्यवधान हो सकते हैं। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत सुरक्षा से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं और विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक व्यावहारिक उपायों के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में प्रासंगिक भारतीय विद्युत सुरक्षा कानून, लागू मानकों, विद्युत खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन, अर्थिंग और ग्राउंडिंग, सुरक्षात्मक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), लॉकआउट/टैगआउट (एलओटीओ), परमिट-टू-वर्क (पीटीडब्ल्यू) सिस्टम और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा।

वस्तुनिष्ठ:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है:

- ❖ लागू कानूनों और विनियमों के तहत नियोक्ताओं, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा पेशेवरों की वैधानिक आवश्यकताएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां।
 - ❖ खतरों की पहचान करें, संबंधित जोखिमों का आकलन करें और विद्युत दुर्घटना को रोकने के लिए उपयुक्त नियंत्रण उपायों की सिफारिश करें।
 - ❖ अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, लॉकआउट/टैगआउट (एलओटीओ) और परमिट-टू-वर्क (पीटीडब्ल्यू) सिस्टम सहित सुरक्षित कार्य प्रथाओं को लागू करने में योग्यता विकसित करना।
 - ❖ दुर्घटना की रोकथाम, घटना की जांच और जोखिम प्रबंधन में सुरक्षा अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें।
 - ❖ निरीक्षण, ऑडिट और दस्तावेजीकरण के माध्यम से वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने में योग्यता विकसित करना।
 - ❖ आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का ज्ञान बढ़ाएँ।
 - ❖ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को जानें।
- | पाठ्यक्रम | की | मुख्य | विशेषताएं: |
|--|----|-------|------------|
| यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यस्थल परिदृश्यों में प्रभावी शिक्षण और व्यावहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों, केस स्टडीज और इंटरैक्टिव चर्चाओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। | | | |
- ❖ कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति।
 - ❖ OSHWC कोड 2020 का परिचय।
 - ❖ विद्युत सुरक्षा और लागू भारतीय मानकों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अवलोकन।
 - ❖ खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण उपाय (HIRA), बिजली की आग, आर्क फ्लैश, बिजली के झटके और बिजली के झटके की रोकथाम।
 - ❖ प्रक्रिया संयंत्रों, विनिर्माण उद्योगों, बंदरगाह संचालन और निर्माण स्थलों में विद्युत सुरक्षा।
 - ❖ परमिट-टू-वर्क (PTW), लॉकआउट/टैगआउट (LOTO) प्रक्रियाएं।
 - ❖ सुरक्षा निरीक्षण, दुर्घटना जांच, घटना की रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई, विद्युत चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा।
 - ❖ उपयुक्त पीपीई का चयन और उपयोग।
 - ❖ आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन।
- पक्षपात:** कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरों, निर्माण सुरक्षा अधिकारियों, साइट इंजीनियरों, इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों, सुरक्षा अधिकारियों, एचएसई / ईएचएस पेशेवरों, फैक्ट्री प्रबंधकों, उत्पादन प्रबंधकों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरों, औद्योगिक हाइजीनिस्ट, अग्नि और सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा समिति के सदस्यों, पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों के सुरक्षा समन्वयकों, सलाहकारों और उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (ओएसएचई) प्रथाओं को लागू करने और निगरानी करने में शामिल सभी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया

है।

दिनांक और समय: तीन दिन, 18 से 20 नवंबर 2026 1000 बजे से 1700 बजे तक।

कार्यक्रम-स्थल: क्षेत्रीय श्रम संस्थान का वेबिनार हॉल, चेन्नई अड्यार, टीआई, तारामणि पोस्ट, तमिलनाडु -600113।

- ❖ **संस्थान शुल्क:** ₹.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति प्रतिभागी भारत कोष पोर्टल के माध्यम से देय है। आरएलआई, चेन्नई से नामांकन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद, निम्नलिखित चरणों द्वारा भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें, संस्थान शुल्क में जलपान या कामकाजी दोपहर का भोजन शामिल नहीं है।

- ❖ **भुगतान प्रक्रियाएं:** त्वरित भुगतान मंत्रालय का चयन <https://bharatkosh.gov.in> करने के लिए लॉग इन करें: 021- श्रम और रोजगार उद्देश्य: सेवा और सेवा शुल्क वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ): 030461 - पीएओ, डीजीई और टी II, चेन्नई, डीडीओ कोड: 230475 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान) टिप्पणियां: "प्रक्रिया संयंत्रों, विनिर्माण उद्योगों, बंदरगाह संचालन और निर्माण स्थलों में विद्युत खतरों और सुरक्षा उपायों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम **आवास:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर संस्थान के छात्रावास में दोहरे साझाकरण के आधार पर सीमित संख्या में गैर-परिवार छात्रावास आवास उपलब्ध है। आवंटन "पहले आओ पहले पाओ के आधार पर" किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्रमुख: श्री बीजे रवि, निदेशक (सुरक्षा) और प्रभारी, आरएलआई, चेन्नई। **प्रशिक्षण समन्वयक:** श्री. गोपीनाथ.बी, अपर सहायक निदेशक (एस), आरएलआई, चेन्नई।

नामांकन: नामांकन 17 नवंबर, 2026 को या उससे पहले अपर सहायक निदेशक (एस), औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग को भेजा जा सकता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान / पाठ्यक्रम समन्वयक से पुष्टि के अधीन है।

सम्पर्क करने का विवरण:

फोन: 8098856432, वेबसाइट: www.dgfasli.gov.in

ई-मेल: b.gopi@dgfasli.nic.in,
rlichennai@dgfasli.nic.in



**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OF OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, CHENNAI
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)**

**Training Programme on “
Legal Requirements related to Electrical
Hazards and Safety Measures in Process
Plants, Manufacturing Industries, Port
Operations, and Construction Sites”
(18th – 20th November 2026)**

ABOUT THE INSTITUTE:

The Regional Labour Institute (RLI), Chennai, a subordinate office of DGOSH (Formerly Known as DGFASLI), provides technical assistance and services in the areas of Occupational Health, Safety, and Environment for the Southern Region of India. Additionally, RLI Chennai organizes training programs and conducts courses on OSH (Occupational Safety and Health).

ABOUT THE COURSE:

Electrical hazards are among the major causes of workplace accidents in industrial establishments, process plants, manufacturing units, port operations and construction sites. Electric shock, electrocution, electrical burns, arc flash, short circuits, electrical fires and explosions can result in serious injuries, fatalities, equipment damage and operational disruptions.

This three-day training programme aims to enhance participants' knowledge of legal requirements related to electrical safety and the practical measures needed to prevent electrical accidents. The programme will cover relevant Indian electrical safety legislation, applicable standards, electrical hazard identification and risk assessment, earthing and grounding, protective devices, personal protective equipment (PPE), Lockout/Tagout (LOTO), Permit-to-Work (PTW) systems and emergency response procedures.

OBJECTIVE:

The training programme aims to:

- ❖ Statutory requirements, duties and responsibilities of employers, engineers, supervisors and safety professionals under applicable laws and regulations.

- ❖ Identify hazards, assess associated risks and recommend suitable control measures to prevent electrical accident.
- ❖ Develop competency in implementing safe work practices, including earthing, electrical isolation, Lockout/Tagout (LOTO) and Permit-to-Work (PTW) systems.
- ❖ Understand the roles and responsibilities of Safety Officers in accident prevention, incident investigation, and risk management.
- ❖ Develop competency in ensuring statutory compliance through inspections, audits, and documentation.
- ❖ Enhance knowledge of emergency preparedness, fire safety, and disaster management.
- ❖ Learn best practices in electrical, mechanical, chemical, and occupational health safety.

COURSE HIGHLIGHTS:

This training programme will be delivered through expert-led sessions, case studies, and interactive discussions to ensure effective learning and practical application in workplace scenarios.

- ❖ National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace.
- ❖ Introduction to OSHWC Code 2020.
- ❖ Overview of Legal Requirements Related to Electrical Safety and Applicable Indian Standards.
- ❖ Hazard Identification, Risk Assessment and Control Measures (HIRA) & Prevention of Electrical Fires, Arc Flash, Electric Shock and Electrocution.
- ❖ Electrical Safety in Process Plants, Manufacturing Industries, Port Operations and Construction Sites.
- ❖ Permit-to-Work (PTW), Lockout/Tagout (LOTO) Procedures and safe maintenance practices.
- ❖ Prevention of Electrical Fires, Arc Flash, Electric Shock and Electrocution.
- ❖ Safety Inspections, Accident Investigation, Incident Reporting and Corrective Actions.
- ❖ Selection and use of appropriate PPE.
- ❖ Emergency Preparedness, Fire Safety & Disaster Management.

PARTICIPATION:

This programme is designed for Electrical Engineers, Electrical Supervisors, construction safety officers, site engineers, electrical contractors, Safety Officers, HSE/EHS professionals, Factory Managers, Production Managers, Electrical, Mechanical and Chemical Engineers, Industrial Hygienists, Fire & Safety personnel, Safety Committee members, Supervisors, Contractors' Safety

Coordinators, Consultants, and all professionals involved in implementing and monitoring Occupational Safety, Health and Environmental (OSHE) practices in industries.

DATE AND TIMINGS: Three days, 18th to 20th November 2026 from 1000 Hrs to 1700Hrs.

VENUE:

- ❖ **Webinar Hall of Regional Labour Institute, Chennai Adyar, TTTI, Taramani Post, Tamil Nadu-600113.**
 - ❖ **Institute Fees:** Rs.5000/- (Rupees Five Thousand only) per participant is payable through the Bharat Kosh portal. Payment can be made online by following steps, **after receiving confirmation of nomination from the RLI, Chennai.** Please note, the institution fee does not cover refreshments or working lunch.
 - ❖ **Payment procedures:** Login to <https://bharatkosh.gov.in> Select Quick Payment **Ministry:** 021- Labour & Employment **Purpose:** Services and services fees **Pay & Account Office (PAO):** 030461 – PAO, DGE&T II, Chennai, **DDO Code:** 230475 (Regional Labour Institute) **Remarks:** Training Program on “Legal Requirements related to Electrical Hazards and Safety Measures in Process Plants, Manufacturing Industries, Port Operations, and Construction Sites”
- ACCOMMODATION:** Limited number of non-family hostel accommodation is available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on “first come first serve basis.”
- TRAINING HEAD:** Shri. B. J Ravi, Director (Safety) & In-Charge, RLI, Chennai.
- TRAINING CO-ORDINATOR:** Shri. Gopinath.B, Addl. Asst. Director(S), RLI, Chennai.

NOMINATION:

Nomination may be sent to The Addl. Assistant Director (S), Industrial Safety Division, on or before 17th November, 2026.

Admission to this training programme is subject to confirmation from this Institute/ Course Co-Ordinator.

Contact Details:

Phone: 8098856432, **Website:** www.dgfasli.gov.in

E-mail: b.gopi@dgfasli.nic.in,

rlitchennai@dgfasli.nic.in



नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म

“प्रक्रिया संयंत्रों, विनिर्माण उद्योगों, बंदरगाह संचालन और निर्माण स्थलों में विद्युत खतरों और सुरक्षा उपायों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(18 – 20 नवंबर 2026)

पर

रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट अड्यार, चेन्नई-600113

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षर):

पदनाम :

संचार के लिए पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नं. :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नं. मोबाइल नंबर :

ई-मेल :

फैक्स नं.:

छात्रावासः

आवश्यक/आवश्यक नहीं

भुगतान विवरणः

भारतकोष रसीद संख्या-

दिनांकः

श्रेणी :

(जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/एनईआर*)

*=पूर्वोत्तर क्षेत्र

दस्तखत।

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

“Training Programme on “Legal Requirements related to Electrical Hazards and Safety Measures in Process Plants, Manufacturing Industries, Port Operations, and Construction Sites”

(18th – 20th November 2026)

at

REGIONAL LABOUR INSTITUTE ADYAR, CHENNAI-600113

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS : **Bharatkosh receipt number-**

Dated:

BELONGS TO : (GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE
